रामनवमी पर्व, 2018 के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु निर्गत संयुक्त जिला आदेश ज्ञापांक–10–0947/गो0, दिनांक–20.03.18 का अतिरिक्त अंश

रामनवर्मी पर्व 2018 के अवसर पर निर्गत जिला संयुक्तादेश में डी0जे0 संचालको से संबंधित निम्नांकित निर्देशो को अतिरिक्त अंश के रूप में शामिल किया जाता है। जिसका अनुपालन अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी /प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करायेगे।

पुलिस मुख्यालय, बिहार पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधीन रामनवमी पर्व 2018 के अवसर पर जुलूस में शामिल होने वाले डी0जे0 संचालक के विरूद्ध निम्नांकित कार्रवाई करेंगे।

1. संबंधित सभी डी0जे0 संचालको के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 की कार्रवाई, नोटिस का तामिला एवं बाउण्ड डाउन की कार्रवाई 24 घंटा के अंदर सुनिश्चित करायेंगे।
2. अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दोनो संयुक्त रूप से रामनवमी पर्व /जुलूस के दौरान बजने वाले गाना /भजन का चयन कर प्रत्येक डी0जे0 वाले को उपलब्ध करायेगे और उसी गाना को रामनवमी पर्व /जुलूस के दौरान बजाया जायेगा।
3. सभी डी0जे0 संचालको से लिखित प्रतिवेदन लेगे कि उनके द्वारा जो डी0जे0 जुलूस के दौरान लगाया जायेगा, उसमें कितने–कितने वाट का कितना साउण्ड बॉक्स होगा।
4. चयनित गाना /भजन से अलग यदि डी0जे0 संचालक द्वारा गाना बजाया जाता है, तो उसके विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई तुरन्त की जायेगी।
5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक डी0जे0 नही बजाया जायेगा।

23/03/18

पुलिस अधीक्षक,
बक्सर

23/03/18

जिला दण्डाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 0-0976 / बक्सर, गो० दिनांक 24/03/2018

प्रतिलिपि :– सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

प्रतिलिपि :– वितंतु पर्यवेक्षक, पुलिस रेडियो, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवष्यक हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी थानाध्यक्ष/ओ०पी० प्रभारी/सभी पुलिस निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

प्रतिलिपि :– डी०आई०ओ०, बक्सर/आई०टी० मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पर्यवेक्षक, भी०एच०एफ०, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ। उक्त जिला संयुक्तादेश के अतिरिक्त अंश की प्रति को प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी को अपने स्तर से उपलबध करायेगे।

प्रतिलिपि :– नजारत उप समाहर्त्ता, बक्सर/स्थापना उप समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कियार्थ।

प्रतिलिपि :– असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, बक्सर –सह– अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/03/18

पुलिस अधीक्षक,
बक्सर

23/3/18

जिला दण्डाधिकारी,
बक्सर